प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका दाण्डिक सं 342/2025

विजय कुमार भाटिया पिता श्री अशोक कुमार भाटिया, 55 वर्ष, निवासी 5/6 नेहरू नगर पूर्व, भिलाई, निवासी–दुर्ग, छत्तीसगढ़ 490020

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अन्वेषण अधिकारी के द्वारा , गौरव पथ, ओ. पी. जय जवान पेट्रोल पंप, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़–492001

2 – प्रवर्तन निदेशालय रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, सहायक निदेशक के द्वारा ,दूसरी मंजिल, सुभाष स्टेडियम, मोती बाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं हेतु :––सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री हर्षवर्धन परगनिहा तथा श्री मयंक, अधिवक्ता।

उत्तरवादी सं. 1 हेतु :–– श्री विवेक शर्मा,अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 2 हेतु:––डॉ. सौरभ कुमार पांडे, अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के अनुसार

26/06/2025

1. वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा को सुना गया, जिनकी सहायता याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री हर्षवर्धन परगनिहा और श्री मयंक, राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री विवेक शर्मा और उत्तरवादी संख्या 2/प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान अधिवक्ता डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने की।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:---

"क. विद्वान विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष विचाराधीन भ्रष्टाचार प्रकरण संख्या 01/2024, जिसका शीर्षक "छत्तीसगढ़ राज्य बनाम अरुण पति त्रिपाठी एवं अन्य" है, के संपूर्ण अभिलेख मंगवाएँ;

ख. विद्वान ग्यारहवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के दिनांक 16.05.2025 के आक्षेपित आदेश को रद्द करें और अपास्त करें; जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध कानून की दृष्टि से अनुचित होने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था;

ग. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को अवैध और विधि की दृष्टि से अनुचित घोषित करें;

घ. याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 16.05.2025 के आक्षेपित आदेश से उत्पन्न सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द करें; और

ङ. न्याय के हित में माननीय न्यायालय जो भी उचित एवं उचित समझे, कोई भी आदेश या निर्देश पारित करें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य का एक व्यवसायी है जिसका स्थायी निवास जिला दुर्ग (छ.ग.) में है। जब याचिकाकर्ता कंपनी के निमंत्रण पर ब्राजील जाने के लिए अपनी व्यावसायिक यात्रा पर जाने हेतु नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर था, जिसके लिए वह वर्ष 2014 से अधिकृत डीलर/वितरक के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी कुछ लुकआउट सर्कुलर का उल्लेख करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।

4. आयकर विभाग द्वारा दं. प्र. सं. , 1973 की धारा 200 के तहत विद्वान तीस हजारी न्यायालय , नई दिल्ली के समक्ष दायर किये गये परिवाद के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर जोनल कार्यालय (संक्षेप में, ईडी), भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, आईपीसी) की धारा 120–बी को एक अनुसूचित अपराध मानते हुए, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, पीएमएलए) की धारा 04 के तहत दंडनीय धारा 03 के तहत अपराधों के लिए ईसीआईआर संख्या आरपीजेडओ/11/2022 (संक्षेप में, ईसीआईआर 11) पंजीकृत किया। 11.07.2023 को, उत्तरवादी संख्या ने पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत श्री अनिल टुटेजा और श्री अरुणपति त्रिपाठी के खिलाफ पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

छत्तीसगढ़ को अपराध का खुलासा किया।ईसीआईआर 11 के संबंध में उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा की गई जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर उक्त जानकारी साझा की गई थी।जानकारी साझा करने के आधार पर, उत्तरवादी संख्या 01 ने 17.01.2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, पीसी अधिनियम) की धारा 07 और 12 और आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 04/2024 दर्ज की। याचिकाकर्ता को उक्त एफआईआर में आरोपी संख्या 43 के रूप में आरोपित किया गया है। उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा दर्ज की गई एफआईआर उसी सामग्री पर आधारित थी जिसका उपयोग पुलिस स्टेशन ग्रेटर नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा एफआईआर संख्या 196/2023 दिनांक 30.07.2023 दर्ज करने के लिए किया गया था।2/ईडी को दिनांक 11.07.2023 को एक पत्र भेजा गया।ये सभी सामग्रियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 153/2023 और अन्य संबद्ध मामलों में पारित सुरक्षात्मक आदेशों से पहले उत्तरवादी संख्या 01 के पास उपलब्ध थीं, जिसमें प्रथम दृष्टया किसी भी अनुसूचित अपराध की कमी का निर्धारण किया गया था। उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज करते समय, उत्तरवादी संख्या 01 ने उन्हीं आरोपों की अपनी पूर्व जाँच को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया, जिसमें कोई अपराध नहीं पाया गया था।उक्त पूर्व जाँच उसी जाँच अधिकारी द्वारा अगस्त-दिसंबर 2023 तक की गई थी।इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा एक विभागीय जाँच भी की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में शराब व्यापार के संबंध में कोई विसंगति नहीं पाई गई थी।इस प्रकार, अपनी स्वयं की अन्वेषण और विभागीय जांच में दोषमुक्ति के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए, उत्तरवादी संख्या 1 ने वर्तमान एफआईआर दर्ज की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 153/2023 और अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 08.04.2024 को पारित अपने निर्णय के माध्यम से रायपुर (सी. जी.) में विद्वान विशेष न्यायालय (पी. एम. एल. ए.) के समक्ष ईसी. आई. आर. 11 में उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 04.07.2023 को दायर अभियोजन परिवाद को कोई अनुसूचित अपराध न होने के कारण रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता को उक्त अभियोजन परिवाद में अभियुक्त के रूप में आरोपित नहीं किया गया था।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईसीआईआर 11 में अभियोजन पक्ष के परिवाद को खारिज करने के तुरंत बाद 11.04.2024 को एक नई ईसीआईआर संख्या आरपीजेडओ/04/2024 ("ईसीआईआर 04") दर्ज की गई, जिसमें वर्तमान एफआईआर को ही विधेय अपराध माना गया है।इस प्रकार, पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत जानकारी साझा करके, उत्तरवादी संख्या 2 ने कथित शराब घोटाले में अपनी अन्यथा स्पष्ट रूप से अवैध अन्वेषण को जारी रखने के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से स्वयं एक अनुसूचित अपराध का सृजन किया है।

6. सुश्री अरोड़ा ने आगे कहा कि उत्तरवादी संख्या 1 ने एफआईआर दर्ज होने की तिथि से लेकर अब तक रायपुर स्थित विद्वान विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट) के समक्ष 03 आरोप-पत्र (29.06.2024, 27.09.2024 और 17.11.2024 को) दाखिल किए हैं, जिनमें कुल 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र

दाखिल किए गए हैं, 300 से अधिक साक्षीयों का उल्लेख दिया गया है और 300 से अधिक दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, फिर भी वर्तमान याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी दिनांक तक जांच में शामिल होने के लिए एक भी समन नहीं दिया गया, किसी भी आरोप-पत्र में उसे आरोपी के रूप में आरोपित करना तो दूर की बात है।16.05.2025 को, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने रायपुर के विद्वान ग्यारहवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की गई थी। उनका आरोप था कि याचिकाकर्ता, शराब की खरीद-बिक्री के व्यवसाय में लगी एक □□-10A अनुज्ञप्ति धारी कंपनी का भागीदार होने के नाते, करोड़ों रुपये का अवैध लाभ उठा चुका है।उक्त आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता से संपर्क करने के हर संभव प्रयास के बावजूद, उत्तरवादी क्रमांक 1 उसके साथ कोई संबंध स्थापित करने में असमर्थ रहा और इसलिए, उसका दृढ़ विश्वास है कि याचिकाकर्ता फरार है।उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन की सुनवाई और निराकरण रायपुर के विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए था, जिन्हें पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।हालांकि, चल रही गर्मी की छुट्टियों के कारण विद्वान न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण, रायपुर में विद्वान IX अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अनुमति दी और वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. सुश्री अरोड़ा ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता भिलाई, जिला दुर्ग का स्थायी निवासी है और समाज में उसकी गहरी जड़ें हैं।यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि गिरफ्तारी का वारंट जारी होने की तिथि तक याचिकाकर्ता अभी भी उसी आवासीय पते पर रह रहा था, जहां उत्तरवादी संख्या 2 ने ईसीआईआर 11 और ईसीआईआर 10 के संबंध में क्रमशः 09.05.2025 और 23.08.2023 को दो बार पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती की थी।ईसीआईआर 11 के संबंध में पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 10.07.2023 को एक समन भी जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को अगले दिन सुबह 10.30 बजे रायपुर जोनल कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। उक्त समन को वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 11.07.2023 के अपने उत्तर के माध्यम से विधिवत रूप से स्वीकार किया गया और उसका उत्तर दिया गया, जिसमें उन्होंने अनुसूचित अपराध के विवरण, पीएमएलए की धारा 17(1) के तहत दर्ज विश्वास करने के कारणों के बारे में जानकारी/दस्तावेज मांगे थे, जिसके कारण याचिकाकर्ता के निवास पर 09.05.2023 को तलाशी और जब्ती की गई और उक्त तलाशी और जब्ती को अधिकृत करने वाला एक पत्र मांगा गया था।जब याचिकाकर्ता रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल से रेफर होकर मुंबई, महाराष्ट्र के 'सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल' में लीवर सिरोसिस और किडनी की कार्यक्षमता में कमी का इलाज करा रहा था, तब प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकारियों ने अस्पताल में उससे मुलाकात की और ईसीआईआर 10 के संबंध में दिनांक 14.09.2023 को एक समन जारी किया, जिसमें उसे उसी दिन शाम 4:00 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। परिणामस्वरूप, पीएमएलए की धारा 50 के तहत याचिकाकर्ता का बयान अस्पताल में दर्ज किया गया।यद्यपि समन ईसीआईआर 10 के संबंध में जारी

किया गया था, याचिकाकर्ता से कथित शराब घोटाले के संबंध में भी पूछताछ की गई।इसके अलावा, याचिकाकर्ता को रायपुर स्थित विद्वान विशेष मजिस्ट्रेट (सीबीआई) के समक्ष लंबित एक बहुचर्चित दाण्डिक प्रकरण संख्या 5465/2018 में झूठे आरोपी के रूप में फंसाया गया है, जो सार्वजनिक डोमेन में है। वास्तव में, याचिकाकर्ता उक्त मामले में नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता रहा है, जिसका प्रमाण आदेश–पत्रों से मिलता है।याचिकाकर्ता ने हाल ही में रायपुर स्थित विद्वान विशेष न्यायालय (सीबीआई) के समक्ष दाण्डिक प्रकरण में पारित आरोप–निर्धारण आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण याचिका भी दायर की है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को पब्लिक नोटरी के समक्ष हलफनामा देना पड़ा था।चूंकि ईसीआईआर 11 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई जांच के दौरान एकत्रित सामग्री उत्तरवादी संख्या 1 को प्रदान की गई थी, जो वर्तमान एफआईआर के पंजीकरण का आधार बनी, इसलिए कोई भी कारण समझ में नहीं आया कि उत्तरवादी संख्या 1 इस तथ्य से अनभिज्ञ क्यों था कि याचिकाकर्ता ने जांच में अपना पूरा सहयोग दिया है और वह हर समय अपने निवास पर पूछताछ के लिए तत्पर था।

8. सुश्री अरोड़ा ने आगे प्रस्तुत किया कि 30.05.2025 को, जब याचिकाकर्ता अपने परिवार के साथ ब्राजील के साउ पाउलो की यात्रा करने वाला था, तो उसे कथित महादेव बेटिंग ऐप घोटाले के संबंध में जारी किए गए कुछ लुकआउट सर्कुलर का उल्लेख करते हुए ईडी के अधिकारियों द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर रात लगभग 09:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।इसके बाद, याचिकाकर्ता को अपनी उड़ान पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई और उसे रात भर हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। अगली सुबह अर्थात 31.05.2025 को, प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को किसी अज्ञात स्थान पर उनके साथ चलने के लिए कहा।याचिकाकर्ता द्वारा उस स्थान का पता जानने के लिए विरोध करने पर, जहां उसे ले जाया जा रहा था, याचिकाकर्ता को ईडी के अधिकारियों ने अनिच्छा से सूचित किया कि उसे गुरुग्राम ले जाया जा रहा है।उत्तरवादी संख्या 2 के गुरुग्राम स्थित आंचलिक कार्यालय पहुंचने पर, उत्तरवादी संख्या 2 के एक अधिकारी ने याचिकाकर्ता के सामने ही मैन्युअल रूप से विवरण भरते हुए एक समन जारी किया और उसे उसी दिन दोपहर 12:40 बजे उपस्थित होने के लिए कहा। सुश्री अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि उक्त समन रायपुर आंचलिक कार्यालय के लेटर–हेड के तहत ईसीआईआर संख्या आरपीजेडओ/10/2022 के संबंध में जारी किया गया था।इसके बाद याचिकाकर्ता से शाम 7 बजे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे कुछ औपचारिकताओं के लिए प्रतीक्षा करने को कहा गया। जब याचिकाकर्ता प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रतीक्षा कर रहा था, तभी उसे कुछ लोगों को सौंप दिया गया, जिन्होंने अपना परिचय उत्तरवादी संख्या 1 से होने का दिया। याचिकाकर्ता को बताया गया कि उसे रायपुर ले जाया जा रहा है।इसके बजाय, याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली से नागपुर, महाराष्ट्र के लिए एक सामान्य पीएनआर नंबर वाली उड़ान से यात्रा की, जिसे उसके साथ आए अधिकारियों ने बुक किया था।याचिकाकर्ता को न तो गिरफ्तारी का कोई वारंट दिखाया गया और न ही पावती के प्रतीक के रूप में या गिरफ्तारी के किसी ज्ञापन पर उसके हस्ताक्षर लिए गए। नागपुर पहुँचने पर, याचिकाकर्ता को अपने खर्चे पर रायपुर के लिए एक टैक्सी बुक करने के लिए कहा गया,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिसे उसने कामाक्षी टूर्स एंड ट्रैवल्स से बुक किया था, जिसकी रसीद पर 31.05.2025 को रात 11:18 बजे का प्रस्थान समय अंकित है।इसके बाद याचिकाकर्ता को 31.05.2025 और 01.06.2025 की मध्य रात्रि को उत्तरवादी संख्या 1 के मुख्यालय में लाया गया, जहां उसे रात भर रखा गया।कई अनुरोधों के बावजूद, याचिकाकर्ता को न तो अपने परिवार के सदस्यों और न ही अपने वकील को सूचित करने की अनुमति दी गई। जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अपने सूत्रों से पता चला कि याचिकाकर्ता को कथित तौर पर दिल्ली से अभिरक्षा में लिया गया है, तो वे 01.06.2025 की सुबह उत्तरवादी संख्या 1 के मुख्यालय में उससे मिलने आए।जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस तरह की अभिरक्षा के आधार के बारे में पूछा, तो उन्हें संबंधित अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी का वारंट दिखाया गया, जिस पर याचिकाकर्ता के कोई हस्ताक्षर नहीं थे।बाद में, उत्तरवादी क्रमांक 1 के संबंधित अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से सूचित किया गया कि उसे कथित शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा रहा है और 01.06.2025 को दोपहर लगभग 01:15 बजे गिरफ्तारी का आधार बताया गया।याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की सूचना उसके अधिवक्ता को दोपहर 01:28 बजे दी गई। इसके बाद, उसी दिनांक को दोपहर लगभग 03:00 बजे याचिकाकर्ता को रविवार को रिमांड देने वाला न्यायाधीश होने के नाते जेएमएफसी, रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 ने 09.06.2025 तक उसकी अभिरक्षा की मांग की।हालांकि, विद्वान जेएमएफसी ने याचिकाकर्ता को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।02.06.2025 को, याचिकाकर्ता को फिर से रायपुर में विद्वान IX अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहाँ फिर से उसकी 09.06.2025 तक अभिरक्षा में रिमांड मांगी गई।विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उत्तरवादी क्रमांक 1 के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता को 06.06.2025 तक उत्तरवादी क्रमांक 1 को अभिरक्षा में रिमांड प्रदान कर दिया।इसके बाद, याचिकाकर्ता को 06.06.2025 को रायपुर में विद्वान XI अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 ने 16.06.2025 तक अपनी पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग की।हालाँकि, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उत्तरवादी के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता की अभिरक्षा अवधि 09.06.2025 तक बढ़ा दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. सुश्री अरोड़ा ने प्रस्तुत करती हैं कि विद्वान ग्यारहवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश, बिना किसी सावधानी और विवेक के, और भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों की अनदेखी करते हुए पारित किया है और इसलिए, यह कानून की दृष्टि से अनुचित है।विद्वान न्यायाधीश को याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते समय, केवल उत्तरवादी संख्या 1 के तर्क पर निर्भर रहने के बजाय, मामले का समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था।उत्तरवादी ने अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि याचिकाकर्ता टालमटोल कर रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था या फरार था, जिससे गैर–जमानती वारंट जारी करना उचित हो सकता था।ऐसे साक्ष्य के अभाव में, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी मनमानी, अत्यधिक और जाँच की आवश्यकताओं के अनुपात से बाहर है।उत्तरवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की माँग करते समय इस तथ्य को छिपाया कि वह जाँच के प्रयोजनों के लिए हर

तरह से आसानी से उपलब्ध और संपर्क योग्य था।याचिकाकर्ता लगातार पूछताछ के लिए उपलब्ध रहा है, जैसा कि ईसीआईआर 11 या ईसीआईआर 10 के संबंध में उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा की गई जांच में उसके पूर्ण सहयोग से प्रमाणित होता है, और उसने उसे जारी किए गए सभी समन का पालन किया है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने का अवसर दिया होता, तो वह हर संभव तरीके से सहयोग करता है।

10. सुश्री अरोड़ा ने आगे कहा कि दिनांक 16.05.2025 के आक्षेपित आदेश में इस बात की कोई परिक्षण नहीं की गई है कि गिरफ्तारी वारंट जारी करना आवश्यक था या परिस्थितियों में उपलब्ध सबसे कम प्रतिबंधात्मक साधन था।विद्वान सत्र न्यायाधीश को यह विचार करना चाहिए था कि क्या याचिकाकर्ता के फरार होने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने का कोई जोखिम है। ऐसे किसी निष्कर्ष के अभाव में, विवादित आदेश अपूर्ण है और इसलिए, विधि की दृष्टि से मान्य योग्य नहीं है। वर्तमान प्राथमिकी लगभग डेढ़ साल पहले जनवरी 2024 में दर्ज की गई थी, हालाँकि याचिकाकर्ता एक नामित अभियुक्त था, फिर भी उसे अन्वेषण में शामिल होने के लिए कभी नहीं बुलाया गया था। उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा उसके नाम पर बीएनएसएस, 2023 की धारा 35(3)/सीआरपीसी की धारा 41–ए के तहत कोई नोटिस कभी जारी नहीं किया गया।गैर–जमानती वारंट नियमित रूप से जारी नहीं किए जा सकते और न ही किए जाने चाहिए और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक सीमित नहीं किया जा सकता जब तक कि जनता और राज्य के व्यापक हित के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो, जो इस मामले में पूरी तरह से अनुपस्थित था।उत्तरवादी संख्या 1 के अधिकारियों द्वारा गुरुग्राम में गिरफ्तार किए जाने पर याचिकाकर्ता को न तो गिरफ्तारी वारंट दिखाया गया और न ही उसका सार उसे सूचित/संप्रेषित किया गया।उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से ऐसी विफलता बीएनएसएस 2023 की धारा 77/सीआरपीसी, 1973 की धारा 75 के अधिदेश के विपरीत है।अतः, याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 1/राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा और उत्तरवादी/ईडी के विद्वान अधिवक्ता डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने प्रस्तुत किया कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और उचित है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।याचिकाकर्ता एफआईआर संख्या 4/2024 में नामित अभियुक्त है।उत्तरवादी क्रमांक 1 ने रायपुर स्थित विद्वान विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट) के समक्ष (दिनांक 29.06.2024, 27.09.2024 और 17.11.2024 को) 03 आरोप–पत्र दाखिल किए हैं और जांच अभी भी जारी है, इसलिए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अत्यंत आवश्यक थी।

12. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, जिसमें संलग्न अभिवचनों तथा दस्तावेज हेतु अध्ययन किया गया है।

13. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उद्धृत करना समीचीन होगा, जिसे यहां चुनौती दी गई है। यह आदेश इस प्रकार है:––

"16/05/2025

पीठासीन न्यायाधीश के ग्रीष्मकालीन अवकास पर होने से कार्यविभाजन आदेशानुसार प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालय अभियोजन श्री मिथलेश वर्मा ने आवेदन वास्ते त्वरित सुनवाई प्रस्तुत किया गया। आवेदन में वर्णित कारण के दृष्टिगत प्रकरण आज कार्यवाही में लिया गया।

इसी स्तर पर श्री सुरेश कुमार ध्रुव, उप पुलिस ीक्षक, ई.ओ. डबलू एवं ए.सी.बी रायपुर छ०ग० की ओर से आवेदन वास्ते प्रकरण के फरार आरोपीगण बी.आर. लोहिया, विजय भाटिया एवं राजीव द्विवेदी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया।

उक्त आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि अपराध कमांक 04/2024 की विवेचना के दौरान यह पाया गया है कि आरोपीगण बी. आर. लोहिया एवं राजीव द्विवेदी कमशः ईगल हंटर साल्यूशन एवं प्राईमवन वर्कफोर्स प्रा.लि, एजेंसी जो मेन पावर एजेंसीस हैं, के संचालय है, जिनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों के द्वारा बी-पार्ट की शराब दुकान के प्रीारियों के निर्देश के आधार पर तयशुदा व्यक्ति या स्थान पर पहुंचाते थे। आरोपी विजय भाटिया एफ.एल 10 ए लायसेंसधारी कंपनी (शराब कय-विक्रय करने वाली कंपनी) का हिस्सेदार है, जिसके द्वारा उक्त शराब कय-विक्रय के एवज में अवैया रूप से करोडों रूपये का लाभ अर्जित किया गया है। उक्त आरोपीगण से संपर्क करने का हर संभव प्रयास किया गया है, किंतु वे उपस्थित नहीं हो रहे है। आवेदन में उक्त आरोपीगण की उपस्थिति हेतु निरंतर प्रयास के पश्चात भी उनके फरार होने का उल्लेख किया जाकर उनके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विवेचक को सुना जाकर, केस डायरी का अवलोकन किया गया। जिन आरोपीगण के विरूद्ध वारंट जारी किये जाने का निवेदन किया गया है, उनकी प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर, फरार होने दर्शित है। माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा न्यायदृष्टांत "राज्य द्वारा सी.बी.आई विरूद्ध दाउद इब्राहिम कास्कर एवं अन्य" (2000) 10 एस.सी.सी 438 की कंडिका में प्रतिपादित मद अग्रलिखत होकर हस्तगत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में

महत्वपूर्ण होकर अवलोकनीय हैः-

विषयः

(1) क्या दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 73 तहत शक्ति को अन्वेषण के स्तर पर लागू किया जा सकता है?

"हां "दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 73 सामान्य रूप से लागू होती है।अन्वेषण के दौरान भी, न्यायालय इस प्रावधान के तहत गैर-जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को पकड़ने के लिए वारंट जारी कर सकती है। प्रकरण की परिस्थिति एवं उपरोक्त समादरणीय न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित मत के आलोक में आवेदन में उल्लेखित आरोपीगण बी. आर. लोहिया, विजय भाटिया एवं राजीव द्विवेदी के विरूद्ध बगैर तिथि का गिरफ्तारी

वारंट जारी किये जाने को स्वीकार किया जाता है। उक्त आरोपीगण के विरूद्ध बेमियादी / बगैर तिथि का गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे।

प्रकरण पूर्ववत् उप पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू एवं ए.सी.बी रायपुर की ओर से आवेदन वास्ते आरेपी बंसल उर्फ पप्पू बंसल के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने हेतु दिनांक 19/05/2025 तथा अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत लंबित आवेदनों के जवाद / तर्क एवं अभियुक्त कवासी लखमा के परिप्रेक्ष्य में अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु दिनांक 23/05/2025.

14. याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज़ के अवलोकन से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता नामित अभियुक्तों में से एक है और मुख्य अभियुक्त भी है।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि चूँकि तीन आरोप–पत्र दाखिल करने के बावजूद, याचिकाकर्ता का नाम आरोप–पत्र में नहीं है, इसलिए वह इस मामले में अभियुक्त नहीं है और परिणामी सभी कार्यवाहियाँ कानून की दृष्टि से गलत हैं।इस निवेदन को स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में दर्ज है और उसका नाम अभियुक्त की सूची में क्रम संख्या 43 पर है और उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अन्वेषण अभी भी जारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने गैर–जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करके गलती की है।इस न्यायालय द्वारा इस बारे में विशेष प्रश्न पूछे जाने पर कि किस आधार पर यह तर्क दिया जा रहा है कि यह गैर–जमानती गिरफ्तारी वारंट था, सुश्री अरोड़ा ने स्वीकार किया कि यह उनकी ओर से एक गलत दलील थी और उन्होंने यह कहते हुए अपना पक्ष सही किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने केवल याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

16. इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य के एक बड़े शराब घोटाले से संबंधित प्राथमिकी में एक नामित अभियुक्त है और याचिकाकर्ता के साथ, 70 अन्य नामित अभियुक्त भी हैं। इस मामले में अपराध की अनुमानित आय 2161 करोड़ रुपये है।उत्तरवादी संख्या 1 के अनुसार, राज्य ने तीन आरोप पत्र दायर किए हैं तथा अन्वेषण अभी भी जारी है।विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य द्वारा दायर आवेदन के अनुसार, अभियुक्तों से उनकी उपस्थिति के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया था और वे फरार प्रतीत होते हैं।केस डायरी में कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक भगोड़ा है।

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने से संबंधित है।
यह इस प्रकार है:–––

"73. वारंट किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है।

(1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भी व्यक्ति को किसी फरार सिद्धदोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का निर्देश दे सकता है, जिस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है और जो गिरफ्तारी से बच रहा है।

XXXX "

18. राज्य बनाम सीबीआई बनाम दाऊद इब्राहिम कासकर एवं अन्य {(2000)10 एससीसी 438} में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"21. धारा 73 मजिस्ट्रेट को वारंट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है और वह इसका प्रयोग जाँच के दौरान भी कर सकता है, इसे संहिता की धारा 155 के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है।जैसा कि इस धारा के अंतर्गत पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश से किसी असंज्ञेय मामले की जाँच कर सकता है और जाँच के संबंध में वही शक्तियाँ प्रयोग कर सकता है जो वह किसी संज्ञेय मामले में कर सकता है, सिवाय इसके कि वह बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस किसी असंज्ञेय और गैर-जमानती अपराध (जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 466 या 467 (भाग 1)) की जाँच शुरू करती है और यदि अन्वेषण के दौरान जाँच अधिकारी अपराध के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहता है, तो उसे मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करना होगा।यदि अभियुक्त गिरफ्तारी से बचता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अन्वेषण अधिकारी के पास एकमात्र रास्ता यह होगा कि वह मजिस्ट्रेट से धारा 73 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कहे और उसके बाद उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करे।ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट धारा 73 के तहत अपनी शक्ति का वैध रूप से प्रयोग कर सकता है, क्योंकि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति 'गैर-जमानती अपराध का अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है।'

22. एक अन्य कारक जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संहिता की धारा 73 मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की शक्ति देती है तथा वह भी अन्वेषण के दौरान, संहिता के अध्याय **VI** के भाग 'सी' के प्रावधानों से स्पष्ट है, जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं।कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें उल्लिखित उद्घोषणा और कुर्की के प्रावधान गिरफ्तारी से बचने वाले व्यक्ति को हाजिर होने के लिए बाध्य करने के लिए हैं। अब, धारा 82 (पूर्व उद्धृत) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा केवल उस व्यक्ति के संबंध में किया जा सकता है, जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया है।दूसरे शब्दों में, जब तक न्यायालय वारंट जारी नहीं करता, धारा 82 और उस भाग में आने वाली अन्य धाराओं के प्रावधानों को उस स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता, जहाँ इसके सर्वोत्तम प्रभावों के बावजूद पुलिस धारा 41 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।परिणामस्वरूप, यदि उसे ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए बलपूर्वक उपाय करने हैं, तो उसे धारा 73 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए न्यायालय से संपर्क करना होगा; और यदि आवश्यक हो, तो अध्याय **VI** के भाग 'सी' के प्रावधानों को लागू करना होगा। [धारा 8 (3) यदि व्यक्ति टाडा के तहत किसी अपराध का आरोपी है]।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अंत में, हम धारा 90 का उल्लेख कर सकते हैं, जो संहिता के अध्याय **VI** के भाग 'डी' में प्रकट होती है और स्पष्ट रूप से बताती है कि अध्याय में समन और वारंट से संबंधित प्रावधान, और उनका जारी होना, तामील और निष्पादन, जहाँ तक हो सके, संहिता के तहत जारी किए गए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट पर लागू होंगे।इसलिए, जब कोई न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है, मान लीजिए संहिता की धारा 155 के तहत, तो उस गिरफ्तारी वारंट से संबंधित कोई भी कदम जो उसे बाद में उठाना पड़ सकता है, वह केवल अध्याय **VI** के तहत ही हो सकता है।

24. अब जबकि हमने पाया है कि संहिता की धारा 73 सामान्य अनुप्रयोग की है और जांच के दौरान न्यायालय इसके तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ–साथ, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर सकता है जो किसी गैर–जमानती अपराध का आरोपी है और गिरफ्तारी से बच रहा है, तो हमें संबंधित प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है कि क्या वारंट जारी करना जांच में सहायता के लिए पुलिस के समक्ष उसे पेश करने के लिए हो सकता है।इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट जांच के दौरान भूमिका निभाता है, जिसमें वह जांच एजेंसी के अनुरोध पर पहचान परेड कराता है, अभियुक्त का इकबालिया बयान या गवाह का बयान दर्ज करता है, या हस्तलेखों के नमूने लेता है या लेता हुआ गवाह होता है आदि। हालांकि, ऐसे या समान कार्यों को करने में मजिस्ट्रेट न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं करता है, जैसा कि वह गैर–जमानती अपराध के अभियुक्त के साथ व्यवहार करते समय करता है, जिसे धारा 73 के तहत जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुसरण में उसके समक्ष पेश किया जाता है।इस तरह के प्रस्तुत करने पर, न्यायालय उसे धारा 439 के अंतर्गत जमानत पर रिहा कर सकता है या धारा 167 के अंतर्गत उसे अभिरक्षा में (पुलिस या न्यायिक) रखने का अधिकार दे सकता है।अन्वेषण एजेंसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर मजिस्ट्रेट पुलिस हिरासत के लिए उसके अनुरोध पर विचार करेगा या नहीं, यह उसके पूर्ण विवेक पर निर्भर करेगा, जिसका निर्णय संहिता की धारा 167(3) के अनुसार न्यायिक रूप से किया जाना आवश्यक है।चूँकि वारंट केवल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए जारी किया जा सकता है, पुलिस के समक्ष नहीं और चूँकि पुलिस हिरासत में हिरासत के लिए प्राधिकरण न तो स्वाभाविक रूप से दिया जा सकता है और न ही पुलिस के कहने मात्र से, बल्कि उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर न्यायिक विवेक के प्रयोग के बाद ही दिया जा सकता है, इसलिए श्री देसाई का यह तर्क पूरी तरह सही नहीं था कि संहिता की धारा 73 के अंतर्गत गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा केवल जाँच में सहायता के लिए अभियुक्त को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जा सकता है।"

19. याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी तथा पीसी अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत अपराधों का आरोपी है, जो गैर–जमानती अपराध हैं।

ईडी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, महादेव बेटिंग ऐप घोटाले के संबंध में ईडी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. जब याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से यह पूछा गया कि क्या याचिकाकर्ता ने एफआईआर में नाम आने के बाद और गिरफ्तार होने से पहले अग्रिम जमानत या अन्य किसी तरह की कोई अर्जी दाखिल की थी, तो सुश्री अरोड़ा ने दलील दी कि चूंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे डेढ़ साल में याचिकाकर्ता को कभी तलब नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए किसी सुरक्षात्मक आदेश की मांग करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि, यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि 01.06.2025 को गिरफ्तार होने के बाद, याचिकाकर्ता ने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने 20.06.2025 के आदेश के तहत खारिज कर दिया और तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में है।

21. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से यह स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि याचिकाकर्ता द्वारा नियमित जमानत प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन क्यों नहीं दायर किया गया है और इसके बजाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की गई है, जिसमें पूर्वोक्त राहत की मांग की गई है, यह प्रस्तुत किया गया है कि न केवल विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.05.2025 का आदेश कानून की दृष्टि से खराब है, बल्कि परिणामी कार्यवाही भी अवैध है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से परिणामी कार्यवाही को भी रद्द करने की प्रार्थना की है।

22. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का आचरण बहुत महत्वपूर्ण है।विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 16.05.2025 को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था और याचिकाकर्ता ने 30.05.2025 को विदेश यानी ब्राजील जाने की योजना बनाई थी, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि याचिकाकर्ता जानता था कि उसे किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है और देश छोड़कर वह अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था और जांच में सहयोग करने का उसका कोई आशय नहीं था और उसका नाम एफआईआर में है।

23.जब याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में है, तो याचिकाकर्ता को उचित स्तर पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष उचित राहत मांगनी थी, और जब उत्तरवादी अधिकारी अन्वेषण हेतु लिए उसकी उपस्थिति की मांग कर रहे थे, तो याचिकाकर्ता नहीं आ रहा था और ऐसी परिस्थितियों में, अन्वेषण अधिकारी के पास गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।इसके अलावा, यदि अन्वेषण अधिकारी ने याचिकाकर्ता को लंबे समय तक तलब नहीं किया तो भी वह अन्वेषण में सहयोग करने के दायित्व से स्वतः मुक्त नहीं हो जाएगा।याचिकाकर्ता स्वयं संबंधित अन्वेषण अधिकारी से संपर्क कर सकता था और अपना पक्ष/स्थिति बता सकता था, जो नहीं किया गया, न ही याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में कोई सुरक्षात्मक आदेश प्राप्त करने के लिए किसी सक्षम न्यायालय का सहारा लिया।यह पता चला है कि जैसे–जैसे जांच आगे बढ़ी, याचिकाकर्ता की संलिप्तता पाई गई और उसकी तलाश की गई, लेकिन याचिकाकर्ता का पता नहीं चल सका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. याचिकाकर्ता के अपने कथनों के अनुसार भी, वह अपने परिवार के साथ विदेश अर्थात ब्राजील जाने की कोशिश कर रहा था और जब इस तरह के मामले की जांच लंबित हो, तो अधिकारी उसे जाने नहीं दे सकते थे और इस तरह, उसकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता है।उत्तरवादी /राज्य का मामला यह है कि अन्वेषण अभी भी चल रही है और 300 से अधिक साक्षीयों की परीक्षा की जा चुकी है और पहला आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, दो और पूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं।

25. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय दिए गए कारण उचित एवं न्यायसंगत हैं तथा कारण उचित भी हैं।हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं मिलता है और इस याचिका में याचिकाकर्ता को कोई अनुतोष प्रदान नहीं की जा सकती है।

26. परिणामस्वरूप, यह याचिका खारिज की जाती है।तथापि, यदि याचिकाकर्ता को सलाह दी जाए तो वह नियमित जमानत के लिए उपाय करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि वर्तमान मामले में उसकी जमानत 20.06.2025 को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है, यदि वह इससे व्यथित है।

सही/–
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

सही/–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेड नोट :––

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 73 (अब धारा 75 बी.एन.एस.एस.) मजिस्ट्रेट को ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार देती है, जिस पर गैर–जमानती अपराध करने का आरोप है तथा अन्वेषण के दौरान भी अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur